उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के संवर्गों की पुनर्संरचना

3234. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक-ग्रेड 'घ' से निजी सचिव ग्रेड तक के पदों को 40: 40: 20 के अनुपात में शामिल करके संवर्ग की पुनर्संरचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक और अनुभाग अधिकारी के संवर्गों का उपर्युक्त अनुपात में पुनर्संरचना करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संवर्गों के पदधारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आशुलिपिकों जैसा लाभ मिलने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी हां,

(ख) जी, नहीं

(ग) उच्च श्रेणी लिपिकों और सहायकों के पदोन्नति के अवसर, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के पुनर्गठन के बावजूद भी केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समरूपी ग्रेडों के सादृश्य अच्छे हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के पद

3235. **श्री कामेश्वर पासवान**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) 30 नवम्बर, 1993 को सीधी भर्ती वाले सहायकों और वरिष्ठता कोटा से बने सहायकों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सहायकों के शेष पदों को उच्च श्रेणी लिपिकों को सहायकों के पदों पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत करके भर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वे कब से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें उनकी तदर्थ नियुक्ति की तारीख से नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार 4827 है।

(ख) 31-3-1992 को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों की संख्या 105 तथा वरिष्ठता कोटा द्वारा भर्ती किए गए सहायकों की संख्या 2046 थी।

(ग) शेष अधिकांश पदों को उच्च श्रेणी लिपिकों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करके भरा गया है।

(घ) प्रत्येक व्यक्ति के मामले की सूचना केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं है। ये नियमों के अनुसार नियमित किए जाते हैं।

सहायकों का चयन

3236. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संवर्ग यूनिटों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गयी उन रिक्तियों की संख्या संवर्ग-यूनिटवार कितनी थी जिन्हें वर्ष 1983 से 1991 के दौरान सहायक ग्रेड परीक्षा के आधार पर भरा जाना था;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कितने व्यक्तियों ने वस्तुतः सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और इस कोटे के कितने खाली पदों को चयन-सूची कोटे के लिए हटाया गया और क्या चयन-सूची के सहायकों को वास्तव में इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983 से 1991 तक संवर्ग यूनिट-वार नियुक्त सहायकों की संख्या क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) :

(क) एक विवरण अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है। (देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 64)

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड के केन्द्रीकृत होने के कारण, यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

3237. [*Transferred to 24th December, 1993.*]

ISSUE OF ORDER FOR RESERVATION TO HANDICAPPED IN PROMOTIONS IN AUTONOMOUS BODIES

3238. SHRIMATI SATYA BAHIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to the Unstarred Question 4366 given in Rajya Sabha on the 26th August, 1993 and state :

(a) whether Ministries|Departments having administrative control over the autonomous bodies and public sector undertakings, have issued the orders for reservation of the posts to be filled by the Physically handicapped persons employed in their organisations; and

(b) if so, the details of the autonomous bodies and Public Sector Undertakings alongwith the total number of physically handicapped employees promoted pursuant to such orders ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) The information regarding reservation for physically handicapped persons in autonomous bodies and public sector undertakings is not maintained by Department of Personnel and Training.

ASSESSMENT OF IMMEDIATE SUPERIORS BY THEIR JUNIORS

3239. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government will introduce a system of asking junior officers to give their assessment about their immediate superiors ;

(b) whether Government are aware that such an administrative system is prevalent in other countries ; and

(c) if not, how Government will remove the system of only senior and superior officers assessing their subordinates ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) No such proposal is under consideration of Government.

(b) and (c) The existing system adequately meets the needs of the administrative authorities and no changes are contemplated. The need for considering any other system which may be prevalent in other countries has not, therefore, been felt.

WORKING OF GOVERNMENT MACHINERY

3240. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article captioned "How the Government expands itself" which appeared in the Patriot dated 10th December, 1993 ;

(b) if so, what is Government's reaction to the observation made therein about the Government employees and the reasons for